

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2020


जयपुर, दिनांक : 22.06.2020

आदेश

विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20.06.2020 के द्वारा राज्य में NABL मान्यता प्राप्त (accredited) एवं आईसीएमआर से कोविड-19 जांच हेतु अनुमोदित निजी जांच प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की आरटी-पीसीआर जांच की अधिकतम दर 2200/- रूपए (जीएसटी/सभी कर सहित) निर्धारित की गई थी।


विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.06.2020 की प्रतिलिपि के कम संख्या 15 पर अंकित लाल पैथ लैब्स, जयपुर के स्थान पर डा. बी लाल क्लिनिकल लैब प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर संशोधित कर पढा जावे।

उक्त अधिसूचना दिनांक 20.06.2020 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/
3. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
7. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी, जयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर, राज.
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
10. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
11. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राज.
12. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राज.
13. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
14. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी मेडिकल कालेज, जयपुर/जेएनयू मेडिकल कॉलेज, जयपुर
15. प्रबंधक, संतोक्बा दुर्लभजी मेमोरियल अस्पताल, जयपुर/ डा. बी लाल क्लिनिकल लैब प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर


शासन उप सचिव